प्रेस विज्ञप्ति
03/03/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने सेबी अधिनियम, 1992 सह पठित सेबी (सीआईएस) विनियम, 1999 के उल्लंघन में मेसर्स पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड (पीसीएल) और अन्य के खिलाफ सामूहिक निवेश योजना के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 28.02.2025 को मुंबई और दिल्ली में 4 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है, जिसमें 50 लाख से अधिक निवेशकों को कथित तौर पर 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का शिकार बनाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, मुख्य आरोपी, मेसर्स पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक स्वर्गीय श्री सुधीर मोरवेकर के परिवार के सदस्यों द्वारा वर्तमान में संचालित की जा रही विदेशी संपत्तियों के विवरण वाले विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, यह भी पाया गया है कि इन संपत्तियों से लीज रेंटल आय प्राप्त हो रही है।

ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा मुंबई द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठान में) अधिनियम, 1999 (एमपीआईडी) के तहत मेसर्स पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड और उसके निदेशकों ने होटल डिस्काउंटिंग, दुर्घटना बीमा और जनता द्वारा जमा की गई राशि पर उच्च दर से रिटर्न सहित अन्य लाभ का वादा करके, सेबी या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा मानदंडों की अनदेखी करते हुए 3 से 9 वर्ष की अवधि की विभिन्न निवेश योजनाएं शुरू की।

तलाशी अभियान में आगे दस्तावेजी साक्ष्य सामने आए, जिनसे पता चलता है कि सह-आरोपी और परिवार के सदस्यों द्वारा संपत्ति को बेचने का प्रयास किया गया था, जो प्रथम दृष्टया अपराध की आय का हिस्सा है। तलाशी अभियान के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड भी पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।